63

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 116 – दो/2007 विरुद्ध– आदेश दिनॉक –

31 मई, 2006 पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 68/1994–95 अपील

हुकुम सिंह (मृतक) पुत्र अतर सिंह,
वारिस
1– श्रीमती कलावती पत्नि स्व. हुकुमसिंह
2– बलवीर सिंह पुत्र स्व. हुकुमसिंह
3– रामऔतार सिंह पुत्र हुकुम सिंह
सभी निवासी गाम कचोंगरा रूपसराय
का पुरा परगना व जिला भिण्ड ---अपीलांट्स

विरुद्ध

1– मुलूसिंह पुत्र गर्जन सिंह ग्राम कचोंगरा
मजरा चार घर का पुरा परगना व जिला
भिण्ड मध्य प्रदेश
2– मध्य प्रदेश शासन --रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलांट्स के अभिभाषक श्री आलोक जैन)
(अनावेदक क–1 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)
(अनावेदक कमांक–2 के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनॉक 6 – 1 –2017 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 117/2001–02 अपील में पारित आदेश दि. 30.08.2002 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि हुकुम सिंह पुत्र अतर सिंह ने कलेक्टर भिण्ड को आवेदन दिनांक 4-12-92 प्रस्तुत कर ग्राम कचोंगरा स्थित आराजी क्रमांक 1068 रकबा 0.554 हैक्टर तालाब भूमि की नोईयत परिवर्तित कर काविलकास्त घोषित करने की प्रार्थना की। अपर कलेक्टर भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 8/1992-93X237 में पारित आदेश दिनॉक 12.7.1993 से ग्राम कचोंगरा स्थित आराजी क्रमांक 1068 रकबा 0.554 हैक्टर में से रकबा 0.510 हैक्टर तालाब भूमि से काविलकास्त घोषित कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक 1 ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 117/2001-02 अपील में पारित आदेश दि. 30.08.2002 से अपर कलेक्टर भिण्ड का आदेश दिनांक 12-7-93 निरस्त कर दिया । इसी आदेश से व्यथित होकर यह द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट्स एंव रिस्पा. क्रमांक 2 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्र-1 बार बार सूचना पत्र भेजने के वाद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ अपीलांट्स एंव रिस्पा.क्रमांक 2 के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि ग्राम कचोंगरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1068 रकबा 0.554 हैक्टर शासकीय अभिलेख में तालाब नोईयत अंकित है। हुकुम सिंह पुत्र अतर सिंह के नोईयत परिवर्तन आवेदन की अपर कलेक्टर व्दारा तहसीलदार भिण्ड से स्थल जॉच कराई है एंव तहसीलदार भिण्ड ने जॉच कर प्रतिवेदन दिनांक 30-4-1993 प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है :-

रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का उक्त आराजी 1068 के रकबा 0.510 हैक्टर पर संबत 2036 से बराबर अतिक्रमण चला आ रहा है एंव वही कास्त कर रहा है। रिकार्ड में उक्त आराजी की नोईयत ताल जरूर दर्ज है परन्तु मौके पर कास्त हो रही है एंव वरसात में भी उस जगह पर पानी नहीं भरता तथा मौके पर सिंचित कास्त है।

स्पष्ट है कि मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत शासकीय अभिलेख में तालाब शब्द अंकित है जबकि मौके पर तालाब नहीं है एंव पानी की भराहट नहीं है तथा खेती होती है। ग्राम पंचायत ने भी प्रस्ताव/ठहराव दिनांक 6-1-1993 से नोईयत परिवर्तन में सहमति दी है, जिसके कारण वास्तविक स्थिति के आधार पर अपर कलेक्टर भिण्ड ने भूमि सर्वे क्रमांक 1068 रकबा 0.554 हैक्टर में से कृषि योग्य भूमि रकबा 0.510 हैक्टर की नोईयत परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की है परन्तु अपर कलेक्टर के प्रकरण में आये वास्तविक आधारों एंव तथ्यों को अनदेखा करते हुये अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 117/2001-02 अपील में पारित आदेश दि. 30.08.2002 से अपर कलेक्टर के विधिवत् आदेश को निरस्त करने में भूल की गई है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना का आदेश दिनांक 30.08.2002 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ अपीलांट के अभिभाषक ने मान. द्वित्तीय सिविल जज वर्ग-2 भिण्ड के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व को लेकर अपीलांट एंव अन्य के बीच प्रचलित एंव निराकृत दीवानी दावा क्रमांक 79-ए/2006 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 13-4-2007 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें आवेदक हुकुम सिंह को ग्राम कचोंघरा की भूमि सर्वे क्रमांक 1068 रकबा 0.510 हैक्टरं का भूमिस्वामी एंव आधिपत्यधारी घोषित किया गया है, जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना का प्रकरण क्रमांक 117/2001-02

अपील में पारित आदेश दि. 30.08.2002 शून्यवत् श्रेणी का होना माना जावेगा, क्योंकि व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 117/2001-02 अपील में पारित आदेश दि. 30.08.2002 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अपील स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर